अनुसूची 14 –फारम सं०–562

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख 19/12/2016 से 04/01/2019 तक

जिला–राँची, वाद संख्या–05 सन्–2016–17।

वाद का प्रकार–दाखिल खारिज अपील

अर्जीकार–बहादूर सिंह मुण्डा प्रतिपक्षी–अमित कुमार पातर मुण्डा वगैरह।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
04.01.19	अपीलार्थी बहादूर सिंह मुण्डा, पिता–स्व० जीतु सिंह मुण्डा, ग्राम–बारूहातु, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, सोनाहातु के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–820 R27/2011-12 में दिनांक–16/03/2012 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।	

भूमि विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बारूहातु	सोनाहातु/60	269	1239	2.22 ए०

अपीलार्थी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी ने अंचल अधिकारी, सोनाहातु के न्यायालय में नामांतरण वाद दाखिल किया जिसका नामांतरण मुकदमा सं०–820 R27/2011-12 है। जिसे अंचल अधिकारी, सोनाहातु ने इस आधार पर अस्वीकृत किया कि आवेदित भूमि विपक्षी को पूर्व में बिक्री की गयी है साथ ही उक्त भूमि पर न तो अपीलार्थी का दखल–कब्जा है और न ही विक्रेता का। अंचलाधिकारी, सोनाहातु द्वारा दिनांक–16/03/2012 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील दायर की गयी है। अपीलार्थी की ओर से अनुरोध किया गया है कि इस अपील वाद को स्वीकृत कर अंचलाधिकारी, सोनाहातु द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाए।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–820 R27/2011-12 में दिनांक–16/03/2012 में पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, सोनाहातु के प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूखण्ड विवादित है तथा इसके पूर्व भी नि०प०सं०–16558 दिनांक–15/10/2007 द्वारा आवेदित भूखण्ड को विक्रेता ने अमीत कुमार पातर मुण्डा, अनुप कुमार पातर मुण्डा, राजीव कुमार पातर मुंण्डा पिता–विजय कुमार पातर मुण्डा को बेच दिया गया है। एक ही भूमि का दो बार अलग–अलग व्यक्तियों को जमीन बिक्री हेतु अनुमति प्राप्त होना तथा निबंधन हो जाना अपने आप शंसय का विषय है। साथ वर्त्तमान क्रेता एवं विक्रेता भूमि पर दखलकार नहीं है। साथ ही आवेदित भूखण्ड से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी परिस्थिति में नामांतरण वाद पर विचार करना तथा स्वीकृत करना न्यायोचित नहीं है। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

उपरोक्त तथ्यों पर विचारण करते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि अपीलार्थी का नामांतरण इस आधार पर अस्वीकृत किया गया है कि एक ही भूमि का दो बार अलग–अलग व्यक्तियों को जमीन बिक्री हेतु अनुमति प्राप्त होना एवं निबंधन हो जाना साथ ही आवेदित भूमि पर वर्त्तमान क्रेता एवं विक्रेता दखलकार नहीं है। नामांतरण में मुख्य रूप से दखल–कब्जा देखा जाता है, आवेदित भूमि पर न तो वर्त्तमान क्रेता का दखल–कब्जा है और न ही विक्रेता का दखल–कब्जा है। अतः इस अपील वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

04/01/19

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू (राँची)।

04/01/19

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू (राँची)